राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक: F (7) NHM/RCH/JSY/OJAS/B.Act/2016 185 दिनांक: 06-07-16

अधीक्षक, समस्त मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल।
संयुक्त निदेशक, समस्त जोन।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल।
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

विषयः– माह 1 नवम्बर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक लम्बित रहे केसेज जिनका बैंक खाता विवरण प्राप्त नही हुआ था, के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांकः F (7) NHM/RCH/JSY/OJAS/B.Act/2016/32 दिनांकः 30.05.2016 एवं 54 दिनांक 13.06.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि 1 नवम्बर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के मध्य हुए ऐसे प्रसव केसेज, जिनका बैंक खाता विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाईन भुगतान हस्तानान्तरण नही किया जा सका था, के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 388 दिनांकः 01.03.2016 में जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे प्रत्येक केस में, 1 जून 2016 से 30 जून 2016 तक की अवधि में ऐसे प्रत्येक केस से सम्पर्क कर, बैंक खाता विवरण प्राप्त करते हुये उनकी प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन इन्द्राज करते हुये ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान प्रकिया की जानी थी।

उक्त संबध में दिनांक 30 जून 2016 के पश्चात ओजस सॉफ्टवेयर से प्राप्त प्रगति रिर्पोट की समीक्षा करने पर पाया गया है कि वर्तमान में भी 1 नवम्बर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के काफी केसेज का ऑनलाईन भुगतान किया जाना शेष है। निदेशालय द्वारा बार–बार अवगत कराये जाने के पश्चात भी आपके स्तर पर उक्त अवधि के लम्बित केसेज में ऑनलाईन भुगतान प्रकिया हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है।

अतः 1 नवम्बर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के ऑनलाईन भुगतान से लम्बित सभी केसेज में दिनांक 20.07.2016 तक का अंतिम अवसर दिये जाते हुये निर्देशित किया जाता है कि सभी लम्बित केसेज से आपके स्तर से उचित माध्यम द्वारा व्यक्तिश सम्पर्क कर बैंक खाता विवरण प्राप्त करते हुये, उनकी प्रविष्टि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन इन्द्राज करवाते हुये, ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान प्रकिया कार्य पूर्ण किया जावे।

6/7/16

cojsy.nhm@gmail.com

दिनांक 20 जुलाई 2016 तक ऐसे केसेज जिनके द्वारा बैंक खाता विवरण उपलब्ध नही करवाया जायेगा, इस प्रकार के केसेज में यह माना जावेगा कि संबंधित लाभार्थी परिलाभ लेने हेतु इच्छुक नही है तथा भविष्य में इस प्रकार के केसेज (1 नवम्बर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के ऐसे केसेज जिनके द्वारा बैंक खाता विवरण उपलब्ध नही करवाया गया) को परिलाभ देने हेतु कोई विचार नही किया जा सकेगा।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, निदेशक–आरसीएच।
3. परियोजना निदेशक, मातृ – स्वास्थ्य।
4. स्टेट डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, जयपुर।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/समस्त जिला नोडल अधिकारी को भेजकर लेख है कि पत्रानुसार आपके जिले की सभी ओजस संबंधित संस्थानों की प्रगति रिर्पोट की समीक्षा करते हुये, अविलम्ब सभी संबंधित ओजस संस्थाओं को पत्र जारी कर दिनांक 20.07.2016 तक कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करावे।
6. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक को भेजकर लेख है कि पत्रानुसार आपके खण्ड के अधीन सभी ओजस संबंधित संस्थानों को ऑनलाईन भुगतान से लम्बित सभी केसेज के संबंध में आवश्यक कार्यवाही दिनांक 20.07.2016 तक पूर्ण कराने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करावे।
7. प्रभारी सर्वर रूम।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच

cojsy.nhm@gmail.com